

अपील सूचना अधिकार संख्या 98/2020 (GCMS 2020/00169) (पोस्टल ऑर्डर न. 48एफ/310993) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु ... वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

01.03.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2020 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी पर 25000/- रूपया शास्ति अर्पित करने व हर्जाना प्रार्थी से दिलवाने और वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।



मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 11.06.2020 के द्वारा अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही है :

1. प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 25.06.2019 व दिनांक 9.12.19 पर विषय वस्तु मल्टीपर्पज स्कूल व नगर परिषद् के पास निर्मित अण्डर ग्राउंड पर वर्षा के पानी को रोकने हेतु आवेदनों का पत्रांक प्राप्ति का नम्बर व दिनांक की सूचना।
2. प्रार्थी के उपरोक्त-पत्रों पर दोनों अण्डर ग्राण्डों पर वर्षा के पानी को रोकने हेतु जो कार्यवाही की गई है उसकी प्रमाणित प्रति व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

3. इन दोनों अण्डर ग्राउण्डों पर पानी को रोकने हेतु जो निर्माण किया जायेगा उस पर होने वाली लागत की सूचना।
4. कार्य निष्पादन के पूरा होने पर लगने वाली समय की सूचना।
5. आपके विभाग के पत्रांक 8415 दिनांक 23.12.2019 पर सम्बन्धित विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का प्रमाण पत्र, जो प्रार्थी के प्रार्थना पत्रों पर की गयी है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 309 दिनांक 02.03.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05.06.2020 द्वारा चाही गई सूचना आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर को इस कार्यालय के पत्रांक 451 दिनांक 11.06.2020 द्वारा लिख दिया गया था जिसकी प्रति पत्रांक 452 दिनांक 11.06.2020 द्वारा अपीलार्थी को भी उपलब्ध करवा दी गई थी। अपील से सम्बन्धित जवाब आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर द्वारा पेश किया जाना है।

संलग्न : मूल प्रार्थना पत्र

-sd-

(भवानी सिंह पंवार)  
लोक सूचना अधिकारी  
(अति. जिला कलक्टर)  
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना आयुक्त नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित है इसलिए आयुक्त नगर परिषद्, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित कोई सूचना वांछित है तो उसे नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर के समक्ष चाराजोही करनी चाहिए और सूचनाओं से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपीलार्थी नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर के सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष की कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर और आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(सौरभ स्वामी)  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर